न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 285/2017 दायर दिनाँक 06.10.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगनाराम पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र–45साल, जाति–जाट, निवासी–डसाणाकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामदेवाराम पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र–50साल, 2. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र–35साल, 3. रामेश्वरलाल पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र–33साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–डसाणाकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. सन्तोषदेवी पुत्री स्वर्गीय भँवरलाल पत्नी तनसुखराम, उम्र–39साल, 5. चुंकादेवी पुत्री स्वर्गीय भँवरलाल पत्नी मदनलाल मण्डा, उम्र–37साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. नानूराम पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र–60साल, 7. ज्ञानीदेवी पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र–65साल, 8. प्रेमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र–40साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–डसाणाकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 285/2017
दायर दिनाँक 06.10.2017, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
मंगनाराम बनाम् रामदेवाराम, वगैरा।

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद अली शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री महावीर प्रजापत, वकील, प्रतिवादी संख्या 08 की ओर से।

दिनाँक **15.02.2019**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद डसाणाकलाँ में स्थित खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 22.16 बीघा व खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 394/163 रकबा 14.00 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा भूमि स्वर्गीय नारायणराम पुत्र स्वर्गीय हीराराम की एकल खातेदारी तथा खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 0.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 189 रकबा 23.07 बीघा व खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 01.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 192 रकबा 16.18 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा में स्वर्गीय नारायणराम व भाई स्वर्गीय गणेशाराम के वारिसान् वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 तक तथा इनकी माता स्वर्गीय तुलसीदेवी का संयुक्त रूप से 1/8 तक हिस्सा दर्ज है। स्वर्गीय नारायणराम का 1/16 हक हिस्सा व अधिकार तथा स्वर्गीय नारायणराम के भाई स्वर्गीय गणेशाराम के वारिसान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 तक तथा इनकी माता स्वर्गीय तुलसीदेवी का 1/16 हिस्सा व अधिकार मौजूद हैं। सरहद बेगसर में खेत खसरा नम्बर 648/92 रकबा 10.02 बीघा स्वर्गीय नारायणराम की एकल खातेदारी का मौजूद है। नकलें पेश है।

चूँकि स्वर्गीय नारायणराम अविवाहित थे तथा जिन्होंने अपने जीवनकाल में वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर वादी के हक में चल व अचल सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ जिसमें उपर वर्णित खेतायों की सम्पूर्ण एकल खातेदारी व संयुक्त खातेदारी वाले खतायों में अपने 1/16 भाग की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

वसीयत दिनाँक 12.02.2014 को निष्पादित की थी। स्वर्गीय नारायणराम का देहान्त दिनाँक 06.04.2014 को हो चुका है तथा स्वर्गीय नारायणराम के देहान्त के पश्चात् उक्त खेतातों में स्वर्गीय नारायणराम के हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर वादी बतौर स्वामी वसीयत के अनुसार काबिज हुआ तथा उक्त खेतात में काश्त करने लगा।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डसाणाकलां में स्थित खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 22.16 बीघा व खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 394 / 163 रकबा 14.00 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा भूमि स्वर्गीय नारायणराम की जगह वादी मंगनाराम का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जाकर तथा खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 0.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 189 रकबा 23.07 बीघा व खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 01.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 192 रकबा 16.18 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा के 1 / 8 भाग भूमि में स्वर्गीय नारायणराम की 1 / 16 हक हिस्से का कब्जाकाश्त की भूमि में स्वर्गीय नारायणराम की जगह वादी मंगनाराम का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जाकर तथा सरहद बेगसर में स्थित खसरा नम्बर 648 / 92 रकबा 10.02 बीघा का स्वर्गीय नारायणराम की जगह वादी मंगनाराम का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जावे। बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 व 09 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 08 की ओर से इकबालिया जवाब व राजीनामा पेश हुआ।

वादी व प्रतिवादी संख्या 08 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद अली शेरानी ने व प्रतिवादी की पहचान वकील श्री महावीर प्रजापत ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, दावानुतोष माफिक दावा डिक्री किया जावे।

वादी मंगनाराम व प्रतिवादी संख्या 08 प्रेमप्रकाश की ओर से शपथ–पत्र, अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए। वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डसाणाकलाँ सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 58 / 59, 74 / 59, 75 / 25, 108 / 25, 79 / 63 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वादी व प्रतिवादी संख्या 08 ने राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार पक्षकारान् राजीनामा के अनुसार डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में राजीनामा पेश हो चुका है जिसके अनुसार पक्षकारान् डिक्री चाहते हैं। लिहाजा, राजीनामा के परिपेक्ष में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को जायज लगता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 285/2017
दायर दिनाँक 06.10.2017, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
मंगनाराम बनाम् रामदेवाराम, वगैरा।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है:–

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्तगत वाद में वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. सरहद डसाणाकलाँ में, खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 22.16 बीघा व खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 394/163 रकबा 14.00 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा भूमि का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

2. सरहद डसाणाकलाँ में, खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 0.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 189 रकबा 23.07 बीघा व खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 01.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 192 रकबा 16.18 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा में से हिस्सा 1/16 भाग (अर्थात्, स्वर्गीय गणेशाराम व स्वर्गीय नारायणराम का सम्पूर्ण हिस्से में से हिस्सा 1/8 भाग का 1/2 भाग) का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के अपने हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है तथा शेष खाते बदस्तूर जारी रहेंगे।

3. सरहद बेगसर में, स्थित खसरा नम्बर 648/92 रकबा 10.02 बीघा का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, आप एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता हैः–

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्तगत वाद में वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. सरहद डसाणाकलाँ में, खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 22.16 बीघा व खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 394 / 163 रकबा 14.00 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा भूमि का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

2. सरहद डसाणाकलाँ में, खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 0.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 189 रकबा 23.07 बीघा व खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 01.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 192 रकबा 16.18 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा में से हिस्सा 1 / 16 भाग (अर्थात्, स्वर्गीय गणेशाराम व स्वर्गीय नारायणराम का सम्पूर्ण हिस्से में से हिस्सा 1 / 8 भाग का 1 / 2 भाग) का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के अपने हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है तथा शेष खाते बदस्तूर जारी रहेंगे।

3. सरहद बेगसर में, स्थित खसरा नम्बर 648 / 92 रकबा 10.02 बीघा का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, आप एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 285/2017 दायर दिनाँक 06.10.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगनाराम पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र—45साल, जाति—जाट, निवासी—डसाणाकलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामदेवाराम पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र—50साल, 2. रामचन्द पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र—35साल, 3. रामेश्वरलाल पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र—33साल, समस्त जाति—जाट, निवासी—डसाणाकलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. सन्तोषदेवी पुत्री स्वर्गीय भँवरलाल पत्नी तनसुखराम, उम्र—39साल, 5. चुंकादेवी पुत्री स्वर्गीय भँवरलाल पत्नी मदनलाल मण्डा, उम्र—37साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—मण्डाबासनी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. नानूराम पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र—60साल, 7. ज्ञानीदेवी पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र—65साल, 8. प्रेमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय गणेशाराम, उम्र—40साल, समस्त जाति—जाट, निवासी—डसाणाकलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक 15.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद अली शेरानी, वकील, वादी व श्री महावीर प्रजापत, वकील, प्रतिवादी संख्या 08 ओर से मद्दायलह पेश

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्तगत वाद में वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. सरहद डसाणाकलाँ में, खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 22.16 बीघा व खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 394/163 रकबा 14.00 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा भूमि का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

2. सरहद डसाणाकलाँ में, खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 0.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 189 रकबा 23.07 बीघा व खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 0.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 01.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 192 रकबा 16.18 बीघा कुल रकबा 42.10 बीघा में से हिस्सा 1/16 भाग (अर्थात्, स्वर्गीय गणेशाराम व स्वर्गीय नारायणराम का सम्पूर्ण हिस्से में से हिस्सा 1/8 भाग का 1/2 भाग) का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के अपने हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है तथा शेष खाते बदस्तूर जारी रहेंगे।

3. सरहद बेगसर में, स्थित खसरा नम्बर 648/92 रकबा 10.02 बीघा का वादी मंगनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्वर्गीय नारायणराम का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, आप एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत..........
........–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner